संख्या- 13/2022 /सैंतालीस-का-1-2022-13(2)/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 21 सितम्बर , 2022**

विषय:- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक के अंतर्गत विभागीय कार्यवाहियों का नियमानुसार निस्तारण के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11/2022/सैतालिस-का-1/2022/13(3)/2022, दिनांक-16.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें |

2- उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निम्नांकित दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे:-

".....4- वर्तमान में प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाहियों से संबंधित जांच अधिकारियों को प्रस्तर-3 में उल्लिखित निर्देशों को उपलब्ध कराते हुए उनसे इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि उनके द्वारा उक्त निर्देशों को पढ़कर भली-भांति समझ लिया गया है। भविष्य में भी जितनी अनुशासनिक कार्यवाहियॉ संस्थित की जाए उनके जांच अधिकारियों को भी उनकी नियुक्ति पत्र के साथ इसकी प्रति संलग्न करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि उनके द्वारा इन निर्देशों को पढ़कर भली-भांति समझ लिया गया है।

5- उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त प्रशिक्षण संस्थाओ को उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित नियमावलियों/शासनादेशों की व्यवस्थाओं का संज्ञान लेते हुए आधारभूत प्रशिक्षण(Induction Training) के कार्यक्रमों में पांच/छ: सत्र(period) एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण (In Service Training) के कार्यक्रमों में एक/दो सत्र (period) अनुशासनिक जांच कार्यवाही/ प्रक्रिया के संबंध में रखा जाए। इसके साथ ही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर, अधिक से अधिक संख्या में प्रभावी प्रशिक्षण कराये जाने हेतु व्यापक योजना (Comprehensive Plan) तथा प्रस्तर-4 में उल्लिखित बिन्दु के संबंध में की गयी कार्यवाही की सूचना कार्मिक विभाग को दिनांक 15-09-2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6- उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उन अधिकारियों को वरीयता प्रदान की जाए कि जिन्हे संप्रति किसी अनुशासनिक कार्यवाही में जांच अधिकारी नामित किया गया हो। "

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की अध्यक्षता में दिनांक-22.08.2022 से दिनांक -26.08.2022 तक विभागवार समीक्षा बैठक करते हुए हुए सभी विभागों से अनुशासनिक कार्यवाहियों से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु व्यापक योजना (comprehensive plan) तैयार कर कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। किन्तु अनुशासनिक जाँच सम्बन्धी उक्त विशिष्ट प्रशिक्षण के सम्बन्ध में व्यापक योजना (comprehensive plan) से सम्बन्धित पूर्ण सूचना अभी तक किसी विभाग द्वारा कार्मिक विभाग को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

4- ज्ञातव्य है कि रिट याचिका संख्या-2555 /2022 रिट-ए प्रकाश चन्द्र अग्रवाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.05 .2022 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा योजित विशेष अपील संख्या-97/2022 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-05.09.2022 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है :-

".....For the said purpose, we direct that after collecting the information as mentioned in the order dated 16.08.2022 of the chief Secretary of the State of U.P., an affidavit shall be filed before this Court by the next date of listing giving therein the details of the comprehensive plan for training. Learned State Counsel has also submitted that as a result of the order passed by the learned Single Judge, which is under appeal herein, the departmental proceedings in the entire State of U.P. have been put to halt though the Court by means of the order dated 22.07.2022 had stayed certain direction issued by the learned Single Judge to the extent, "that no Officer in future shall be appointed for departmental inquiry unless he has received training from JTRI". However, it has further been stated that after the said stay order dated 22.07.2022 though now enquiry officers are being appointed for conducting the departmental enquiries without receiving the training from JTRI but so far as the appointing/disciplinary authorities are concerned, they are unable to take final decision in the matters where the enquiries have been taken to final stages.

Accordingly, we provide that the directions issued by the learned Single Judge to the extent "punishing authority shall go through the required training before passing any punishment order and also refer to their session/certificate" shall remain stayed. However, this order whereby a part of the order passed by learned Single Judge has been stayed, does not mean that the appointing/punishing authorities in the State of U.P. shall not undergo the requisite training as directed by learned Single Judge at JTRI.

We make it clear that directions issued by learned Single Judge are an expression of concerns of the Court relating to various irregularities which are noticed by the Court almost on everyday basis in the matters relating to departmental proceedings where on account of un-acquaintance with the exact procedure for conducting departmental proceedings and thereafter for passing the appropriate punishment orders, the erring officers many times go scot-free.

List this case on 19.10.2022."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- अत: इस सम्बन्ध में समेकित व्यापक योजना (comprehensive plan) तैयार करने हेतु उ० प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी,लखनऊ को अधिकृत करते हुए पुनः मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त के संबंध में अपने-अपने विभाग के समूह 'क' एवं समूह 'ख' के समस्त अधिकारियों एवं समूह 'ग' के ऐसे अधिकारियों जिन्हें जाँच अधिकारी नामित किया जाता हो,को उपर्युक्तानुसार प्रशिक्षण दिलवाने के सम्बन्ध में व्यापक योजना (comprehensive plan) उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी को उपलब्ध करने का कष्ट करें | इस सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 के उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक-16.08.2022 के प्रस्तर-4 की अपेक्षानुसार कृत कार्यवाही की सूचना भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें |

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विभाग में यदि प्रशिक्षण संस्थान हो तो उनके माध्यम से अधिकारियों को विभागीय प्रशिक्षण दिलाने का कष्ट करें,अन्यथा अन्य विभागों के प्रशिक्षण संस्थानों से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यापक योजना तैयार कर उ० प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी को विलम्बतम **25.09.2022** तक अवश्य उपलब्ध करने का कष्ट करें |

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि, महानिदेशक, उ० प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी,लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की वे उपरोक्तानुसार सभी विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर व्यापक योजना (comprehensive plan) तैयार कर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें |

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।